83

सं० 6/6/69-स्थापना (ख)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली -1 दिनांक 27 आषाढ़ 1891

18 जुलाई, 1969 ।

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कर्मचारियों की राजनैतिक तटस्थता ।

मुझे केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 5 के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने हाल ही में सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य समान संगठनों के सम्बन्ध में अपनी नीति का पुनरीक्षण किया है । जिनकी गतिविधियों का राजनैतिक सम्बन्ध या प्रकार सम्भव है । कुछ संगठनों के बारे में सरकार ने अनुदेश जारी किये हैं कि उक्त संगठनों की गतिविधियां राजनैतिक प्रकार की समझी जानी चाहिए । ऐसे अनुदेशों के प्रयोग में रहते हुए यदि किसी सिविल कर्मचारी के ऐसे अनुदेशों में उल्लिखित किसी संगठन के साथ सम्बन्ध हों तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है । किन्तु ऐसे भी कई अन्य संगठन हैं जिनके बारे में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 5 के प्रयोजन के लिए अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं । अत: सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे न केवल राजनैतिक दृष्टि से तटस्थ रहना चाहिए ,बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि वे तटस्थ हैं । उन्हें ऐसे किसी भी संगठन की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, या उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए जिसके बारे में यह सोचने का थोड़ा सा भी कारण हो कि वह संगठन राजनीतिक प्रकार का है ।

2. यह वित्त मंत्रालय आदि के अधीन कार्य करने वाले सभी सरकार कर्मचारियों की सूचना में लाया जाय ।

ह०

(एस० सतानन्द)

उप सचिव, भारत सरकार ।

प्रेषण के लिये

अधिकृत

डे.प्र. सक्सेना

(डी० पी० सैक्सेन)

अनुभाग अधिकारी

गृह मंत्रालय

--2

सेवा में,

सभी मंत्रालय । विभाग ।

उत्तर क्षेत्रीय परिषद, गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रपति का सचिव । सैनिक सचिव, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, योजना आयोग, योजना आयोग (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन), प्रधान मंत्री का सचिवालय, राज्य । लोक सभा सचिवालय, डाक-तार महानिदेशालय, नियोजन तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, चुनाव आयोग, भाषा-जात अल्पसंख्यकों के आयुक्त, सभी संघ शासित प्रशासन, गृह मंत्रालय के सभी अनुभाग अधिकारी ।